

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 861/2023

कपूर चंद गुप्ता (कर्मचारी आई.डी.— आरजेकेए199226025421)

—अपीलार्थी

### बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.02.2023

आदेश की दिनांक : 09.02.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-॥ (गणित) के पद पर रा.उ.मा.वि., जाटव बस्ती, हिण्डोन सिटी जिला करौली में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रा.उ.मा.वि. बामनवाड़ी, भरतपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो गलत है। उनका आगे तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को टीए/डीए भत्ता प्रदान नहीं किया गया है, जो यह दर्शाता है कि निजी प्रत्यर्थी ने स्वयं की इच्छा से अपना स्थानांतरण करवाया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण करने के लिए कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी। उनका आगे यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में है तथा करौली जिले में ही पदस्थापित है। राज्य सरकार की नीति रही है कि अगर पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर

कार्यरत रखा जावे अथवा पास-पास कार्यरत रखा जावे। परंतु उक्त स्थानांतरण आदेश में इस नीति का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, जो गलत है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)